



छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर - 492001

कमांक 196 / एफ 13-5/08/34-2/05  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 29/1/2008

✓ प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
रायपुर।

विषय:- ग्रामीण नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन।

संदर्भ:- 1. छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग का आदेश क्र. 596/स/लोस्वायावि/4 दि. 1.10.04  
2. आपका पत्र कमांक 6203/कय/प्रअ/लोस्वायावि/07 दिनांक 25.8.07।

-00-

कृपया विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 1.10.04 एवं आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त ज्ञापन का अवलोकन करे। चूंकि भण्डार कय नियम 2002 की परिशिष्ट (01) में सम्मिलित कतिपय आरक्षित सामग्रियों हेतु दरें छ.ग. राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा निर्धारित की गई हैं, अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में कार्रवाई करते समय छ.ग. राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा जिन सामग्रियों हेतु दरें निर्धारित की गई हैं, उन समस्त सामग्रियों के संदर्भ में भण्डार कय नियम 2002 के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दशा में आवश्यकता से अधिक सामग्री का कय न किया जाए।

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 29/1/2008

पृष्ठांकन कमांक / एफ 13-5/08/34-2/05  
प्रतिलिपि:-

विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग